पत्रांक-जी/विविध-46/2011......3960................./

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी, भा०प्र०से०,
प्रधान सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेलवे सहित) बिहार

पटना, दिनांक.....25....अप्रैल, 2012

विषयः सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का प्रभावकारी अनुपालन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 6829 दिनांक-22.07.2011 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ करें। देश के पैमाने पर बिहार राज्य में अन्य सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक 53.5 प्रतिशत आवादी तम्बाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करतें हैं जबकि देश का औसत मात्र 35 प्रतिशत है। तम्बाकू सेवन करने के कारण तम्बाकू जनित घातक बिमारियों, यथा, कैंसर, हृदय रोग, फेफडों की बिमारी आदि से होने वाली असामयिक मौतों की संख्या बिहार राज्य में करीब 70 हजार प्रति वर्ष है। ऐसे रोगियों के इलाज में सरकार द्वारा जो राशि खर्च की जाती है वह तम्बाकू से प्राप्त टैक्स से कई गुणा अधिक है और इसका कुप्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल पडता है। अतः तम्बाकू सेवन को घटाने से न सिर्फ लाखों ऐसे रोगियों की जान ही बच पायेगी बल्कि बिहार के अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर भी पडेगा। इसी उद्देश्य से जिलों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में Anti-Tobacco Squad (Task force) गठन करने का अनुरोध किया गया था। इसी आशय का पत्र प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक-704 दिनांक-02 June' 2011 के द्वारा भेजा गया था (छायाप्रति संलग्न)।

समाचार पत्रों में इस कानून की धारा 6, जो नाबालिगों को तम्बाकू/तम्बाकू से बनी वस्तुएँ बेचने पर तथा शिक्षण संस्थानों के कैम्पस से 100 गज की दूरी पर तम्बाकू/तम्बाकू से वनी वस्तुएँ की दुकानों पर रोक लगाना है, इसके उल्लंघन का अनेकों समाचार आये दिन प्रकाशित हो रहे है।

P.T.O

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव के अ0स0 पत्रांक P-16012/J/05-PH-I दिनांक-09 दिसम्बर, 2011 (परिशिष्ट B सहित), जो संलग्न है, द्वारा भेजे गये दिशा निदेश के आलोक में राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर से निर्गत पत्र ज्ञापांक 238/ के0आर0/विविध-06/2012 दिनांक-16.02.2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा प्रत्येक माह के अपराध गोष्ठी में करने तथा मासिक अपराध समीक्षा प्रतिवेदन में इस अधिनियम का अनुपालन का बिन्दु भी जोड़ने का निदेश भेजा गया है।

इस क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यपालक निदेशक द्वारा संगत प्रावधानों एवं उनके उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दण्ड व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु चालान पर्ची भी भेजी गयी है। इसमें चालान की राशि के संरक्षण एवं जमा हेतु खाता संख्या विनिर्दिष्ट कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

यह अपेक्षा की जाती है कि मई, 2012 से प्रत्येक माह सभी जिला पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाकर (जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी बुलाया जाय), इस पर चर्चा करेंगे और भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के अपर सचिव के उपरोक्त 9 दिसम्बर 2011 के पत्र में अनुलग्नक परिशिष्ट B में जो फौरमेट दिये गये हैं उसमें सभी सूचनाओं को भरकर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, को भेजेंगे और इसकी प्रतिलिपि गृह विभाग को भी देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध गोष्ठी में इसकी समीक्षा करेंगे और मासिक अपराध समीक्षा प्रतिवेदन में उक्त फौरमेट के सभी सूचनाएँ अपराध अनुसंधान विभाग को भेजेंगे। अपराध अनुसंधान विभाग सभी जिलों की सूचनाएँ उक्त फौरमेट में प्रतिमाह गृह विभाग को भेजेंगे।

यह बताना समीचीन होगा कि राज्य सरकार तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध है। अतः जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का अनुपालन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कानून के उल्लंघन के लिए दण्ड व्यवस्था का कारगर उपयोग किया जाय। उपरोक्त पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की भी सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

अनुलग्नकः-यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

प्रधान सचिव

P.T.O

me 24/5/2012

:- 3 :-

ज्ञापांक- 3960 पटना, दिनांक-25 अप्रील, 12

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना
2. पुलिस महानिदेशक/अपंर पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग), पटना
3. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
4. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
5. श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति-सह-सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना,
6. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक
7. सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
8. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
   को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सीड्स, 303, बसंती कुँज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना-23
10. श्री टी0पी0 सिन्हा, भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैंसर अवेयरनेस सोसायटी, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कार्रवाई करने की कृपा करें।

25.4.12

(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव

24/4/2012